संख्या–506/ XVIII-(2) /2004

प्रेषक,

राजकुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
अल्मोडा।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग — देहरादून: दिनांक 16 अगस्त, 2004

विषय:– वर्ष 2004–05 में लेखा शीर्षक 2245 के अंतर्गत अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त रामगंगा नदी पर मरचूला–बलूनी मार्ग में झूलापुल के मरम्मत/पुर्ननिर्माण/सुरक्षात्मक कार्यो हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के संबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–77/आ.प्र./2003, दिनांक: 26.3.2003 के कम में आपके प.सं.– 4678/तेरह–14(2002–03) दिनांक 27 मार्च, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूगर्भ वेत्ता द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार रामगंगा नदी पर मरचूला–बलूली मार्ग में झूला पुल के पुर्ननिर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये रू0 33.64 लाख के आगणन के विपरीत तकनीकी परिक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 30,80,000/– (रू0 तीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि की लागत के विपरीत उक्त आगणन में सुरक्षात्मक कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त रू0 2.20 लाख की धनराशि को कम करते हुये स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 28,60,000/– (रू0 अठाइस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:–

2– स्वीकृति धनराशि कार्यदायी संस्था को तत्काल अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि जिन कार्यो/जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गयी है, उन्ही कार्यो एवं प्रयोजन हेतु व्यय की जायेगी। धनराशि का गलत उपयोग न किया जाय और मद परिवर्तन करने का अधिकार उनके पास नहीं रहेगा।

3– उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने के एक माह के भीतर शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि 31.3.2005 तक स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो समस्त अवशेष धनराशि राजकोष में समर्पित कर दी जायेगी।

4– व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टैण्डर/कुटेशन तथा मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश एवं अन्य तदविषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5– कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु संबन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होंगे। कार्य की समयबद्धता हेतु संबन्धित निर्माण एजेन्सी से अनुबन्ध कर उस पर पैनाल्टी कलाज भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है।

6– शासनादेश संख्या 77/आ.प्र./2003 दिनांक 26.3.2003 की शेष सभी शर्ते यथावत रहेंगी।

7– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2245– प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत –05 आपदा राहत निधि–आयोजनेत्तर 800– अन्य व्यय –01– केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें –01 राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय– 42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.प.सं.– 679/वि.अनु–3/2003 दिनांक 10.8.2004 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजकुमार)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री।
3. कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. डॉ. राकेश गोयल, राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. वित्त अनु.– 3, उत्तरांचल शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

16/8/2004

(राजकुमार)
अपर सचिव।